

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुडामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 69/2020

दीर्घ :-

1. देवा बल्द रेखा
2. जमना देवा रेखा
कौम जाट निवासी बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्राथीगण :-

1. दुर्गाराम बल्द हिमताराम वगैरा (16)
17. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित:-


1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रामजीवन विश्‍नोई अधिवक्ता विप्राथीगण 6 ता 14

—: आदेश :-

दिनांक :- 23.11.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 संपठित धारा 128 राजस्थान अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्राथीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्राथीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्राथीगण संया 6 ता 14 की ओर से वकील रामजीवन विश्‍नोई उपरिस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई उजर एतराज पेश नहीं किया शेष विप्राथीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प बाण्ड पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075 सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 459/2, 459/5 रकबा कमश: 23-19, 40-00 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बढ़ने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपरिस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपरिस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपरिस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपरिस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 459/2, 459/5 रकबा कमश: 23-19, 40-00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुडामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे।  फैंसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/11/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय बाण्ड में मजमेआम खुले न्यायालय सुनया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

क्रमांक: वाद/2021/869

दिनांक : 5/12/21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

देवाराज

v/s

दुर्गा राम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी

राजस्व आवेदन सं. 69/20

निर्णय दिनांक :- 23.11.21

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम बाण्ड के खेत खसरा
नम्बर 459/2 रकबा 23-19 बीघा खसरा नम्बर 459/5 रकबा 40-00 बीघा खसरा
नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं
खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमी आनर नियुक्त
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 5000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल
दिनांक : 5/12/21

क्रमांक: वाद/2021/870-872

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी बाण्ड
कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी देवा वगैरा
5. विप्रार्थी दुर्गा राम वगैरा

को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी

(प्रमोद कुमार)

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल